महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – अढ़तीसवां संस्करण (माह मई, 2018)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संबोधन
3. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. ''पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प'' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला
5. समूह चर्चा – पांच विषयों पर
6. भारत के संविधान में पंचायतों को मजबूत बनाने के संवैधानिक प्रयास
7. संस्थान में पालनाघर (क्रेच) का शुभारंभ

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का अढ़तीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2018 का पांचवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण को मध्यप्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके कारण अधिकतम आलेख आयोजित राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर आधारित शामिल किये गये हैं। जिनमें **''मण्डला रामनगर में राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन''** एवं **''पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला''** को समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर आयोजित समूह चर्चा की श्रृंखला में **''ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) – पंचायतों में आर्थिक विकास और आयोजना''**, **''पंचायतों में सामाजिक विकास और सत्त विकास लक्ष्य (एसडीजी)''**, **''युवा पंचायत–नया भारत, नई सोच''**, **''डिजीटल पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प''**, **''स्वच्छ भारत अभियान''** विंषयों पर समूह चर्चा पर आलेख प्रस्तुत किये गये हैं।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 22 मार्च, 2018 एवं 05 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है।

साथ ही ''**संस्थान में पालनाघर (क्रेच) का शुभारंभ**'' पर समाचार आलेख एवं पिछले अंक से आगे का भाग **''भारत के संविधान में पंचायतों को मजबूत बनाने के संवैधानिक प्रयास''** द्वारा पंचायतराज संस्थाओं से संबंधित 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम अंतर्गत उप–अनुच्छेद को आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

मण्डला के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन

मण्डला के रामनगर के ऐतिहासिक मोतीमहल में दिनांक 24.04.2018 दिन मंगलवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संबोधन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये देश की 2.44 लाख पंचायतों के सरपंचों को संबोधित करते हुये कहा कि बजट की न तो चिंता है, न कमी। आज चिंता इस बात की है कि बजट का सही उपयोग कैसे हो और समय पर कैसे हो? उन्होंने आगे यह भी कहा कि समस्या पैसे की कमी की नहीं है। असल समस्या प्राथमिकताओं की कमी की होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने देश के 30 लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वे गांव के विकास का संकल्प ले और आगे बढ़ कर गांव की तस्वीर बदलें।

पंचायत प्रतिनिधियों व जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये उन्होने कहा कि आज पंचायत दिवस है, बापू के सपनों को साकार करने का एक अवसर है। महात्मा गांधी जी ने बार–बार दोहराया था कि भारत की पहचान भारत के गांवों से है। देश के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है।

प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि ''मैं सभी सरपंचों और प्रधानों से अपील करता हूँ कि वे अपनी अगली पीढ़ियों को बता सकें कि ये काम उन्होंने किया था। जब हम मण्डला आते है तो किले की पहचान होती है, राजपरिवार की पहचान होती है, तो हम सीना चौड़ा करके इस पर गर्व करते हैं। हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास का खाका पेश करते हुये कहा कि

जनधन, वनधन और गोवर्धन से ही गांवों का विकास होगा।

कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरूष्कृत किया। मण्डला की लिंगापाल को उज्जवला योजना में शत–प्रतिशत सफलता हासिल करने पर सरपंच अमरवती वाटिया तथा मेढ़ी की सरपंच नन्ही बाई धुर्वे को सौभाग्य योजना के लिए सम्मानित किया। मिशन इंद्रधनुष में शत–प्रतिशत टीकाकरण के लिए शहडोल जिले की पकरिया ग्राम पंचायत की सरपंच गेंदबाई बैगा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा ई–कनेक्टिविटी में देश की हर पंचायत को सम्मानित किया गया। सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा और कर्नाटक की पंचायतें भी सम्मानित की गई।

मण्डला में आयोजित समारोह में शामिल होने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय करीबन दोपहर 2.25 बजे मण्डला से जबलपुर डुमना विमानतल पहुंचे। यहां बनाये गये कांफ्रेन्स हॉल से ही प्रदेश के पिछड़ें आठ जिलों के कलेक्टरों से 1 घंटा वन–टू–वन चर्चा की।

डुमना विमान तल पर माननीय प्रधानमंत्री जी आगमानी मध्यप्रदेश की गर्वनर आनंदी बेन के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान न की एवं स्वागत राज्यमंत्री शरद जैन, प्रदेशाध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह, महापौर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले, विधान अंचल सोनकर, सुशील तिवारी इंदू, अशोक रोहाणी, प्रतिभा सिंह, नंदनी मरावी, मनोनीत विधायक एलबी लोबो, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटेल और जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष शिव पटेल ने किया। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों में मुख्य सचिव बीपी सिंह, डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला, आईजी अनंत भारद्धाज और एसपी कुमार सौरव ने भी प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत किया।

जय कुमार श्रीवास्तव
कम्प्यूटर प्रोग्रामर

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 22.03.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :–

1.1 CPGRAM में 28 शिकायतें लंबित हैं। इनकी जानकारी के लिए मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को 03 दिवस का समय दिया गया है। वर्ष 2015 से जिला शिवपुरी, सीधी में लंबित एवं वर्ष 2016 से जिला अशोकनगर, छिंदवाडा, रीवा, शहडोल, टीकमगढ, उमरिया, जबलपुर, एवं सीहोर में लंबित शिकायतों का निराकरण प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2018 तक तथा वर्ष 2017 एवं 2018 की लंबित शिकायतों का निराकरण प्रतिवेदन दिनांक 03.04.2018 तक परिषद कार्यालय भिजवाया जाये।

1.2 वर्ष 2015–16 एवं उसके पूर्व के कार्यों की पूर्णता दर की समीक्षा करें। दिनॉक 10 अप्रेल ,2018 तक समीक्षा कर 100 प्रतिशत सीसी जारी की जाये। जिन कार्यो की सीसी जारी नहीं हो सकती है, कारण सहित जानकारी google sheet format (works to be completed) में अपलोड करें।

1.3 वर्ष 20116–17 के कार्यो में कार्य पूर्णता दर की सबसे धीमी गति वाले जिले हैं– उमरिया सीधी एवं शिवपुरी। वर्ष 2017–18 के कार्यो में कार्य पूर्णता दर की सबसे धीमी गति वाले जिले हैं।सीधी, झाबुआ,एवं सिंगरोली । यह जिले विशेष ध्यान देकर कार्यो को पूर्ण करावें।

1.4 पशुशेड के कार्य जिनमें 60 हजार रूपय से ज्यादा राशि व्यय हो चुकी है। एवं नरेगा मद से 60 हजार रूपये व्यय हो चुका है, ऐसे कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर तत्काल बंद करावें।

1.5 आवास के कार्यो जिनमें 90 अथवा 95 दिवस की पात्रता अनुसार मजदूरी का जिव जारी है उनकी सीसी जारी करने में कोई बाधा नहीं है। अतः सीसी अविलंब जारी करें।

1.6 सभी जिले नरेगा साफ्ट में कार्य पूर्णता के अंतर की समीक्षा कर सीसी जारी करें तथा google sheet format (works to be completed) में कार्यवार जीर की गई सीसी की संख्या अद्यतन कों।

1.7 नरेगा के कार्य जिनमें व्यय 01वर्ष, 02वर्ष, से शून्य हैं, उनकी समीक्षा कर कार्य 15 दिवस में बंद कराये जायें।

1.8 जिन कार्यो में 05 प्रतिशत तक व्यय हुआ है या केवल सामग्री में व्यय हुआ है, ऐसे कार्यो का विश्लेषण कर सूचीबद्व करें।

1.9 75 से 100 प्रतिशत व्यय एवं 100 प्रतिशत से अधिक व्यय के कार्यो में, अधिकांश आवास के कार्य है, जिनका भुगतान भी हो चुका है। समीक्षा कर सीसी जारी करें।

1.10 MIS रिपार्ट R 6.19 में अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

1.11प्रधानमंत्री आवास ,मिशन अन्त्योदय, पंचायतों में शौचालय, आवास में शौचालय एवं अन्य कार्य की सूची ,जिन्हें लेबर बजट के वर्क प्रोजेक्शन में सम्मिलित करना है।तब entry करें।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रमीण

2.1 वर्ष 2017–18 में स्वीकृती हेतु शेष बचे प्रकरणों को विभाग के पत्र क्रमांक 2754 दिनांक 09.03. 2018 के अनुसार पुनर्वितरण करने के उपरांत शेष लक्ष्य समर्पण हेतु तैयार की गई गूगल शीट में दर्ज करें। लक्ष्य समर्पण से यह मापा जाएगा कि अब एक कक्ष कच्चा आवास श्रेणी तक उस वर्ग विशेष में कोई पात्र हितग्रही जिले में शेष नहीं है।

2.2 समस्त जिले 31 मार्च के पूर्व वर्ष 2018–19 का लक्ष्य 100 प्रतिशत स्वीकृत करते हुए प्रतिशत प्रकरणों में प्रथम किश्त जारी किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष2018–19 के लक्ष्य का समर्पण भी कंण्डिका 1.1 अनुसार करना सुनिश्चित करें।(लिंक जिला पंचायत की ई–मेल आईडी पर 22.03.2018 को उपलब्ल कराई गई)

2.3 प्रथम किश्त प्रदाय उपरांत 09 माह से अधिक समय से अपूर्ण आवासों की जानकरी हितग्राही जिलों को उपलब्ध कराई गई है। आगामी वी.सी के पूर्व मैदानी अमला प्रत्येक हितग्राही से चर्चा करें तथा यह सुनिश्चित किया जाए की ये समस्त आवास अप्रेल माह में पुर्ण हो जाए। जिन ग्रम पंचायतों में अधिक संख्या में ऐसे अपूर्ण आवास हो उनसे संबधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

2.4 अशोकनगर जिले में वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लक्ष्य 5507 के विरूद्व मात्र 792 आवास स्वीकृत किये गए है। आगामी वी. सी. के पूर्व

शत–प्रतिशत प्रथम किश्त जारी करने का आश्वासन दिया गया है।

2.5 शिवपुरी एवं डिण्डौरी द्वारा विशेष परियोजना पीटीजी वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य के अन्तर्गत अन्य वर्ग के इन हितर्गाहियों को विशेष परियोजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाए अथवा नहीं, मार्गदर्शन चाहा गया है। स्पष्ट किया जाता है कि इन अन्य वर्ग के हितग्राहियों को विशेष परियोजना के अन्तर्गत लाभ न दिया जाए।

2.6 डिण्डौरी जिले में पुरानी आवास योजनाओं में हितग्रहियों द्वारा परम्परागत डिजाईन अनुसार कच्ची दीवार और कबेलू से आच्छादित छत निर्मितकर आवास पूर्ण कर लिए है। परन्तु उन्हें द्वितीय किश्त जारी न किये जाने के कारण पूर्णता प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है। निर्देशित किया जाता है। कि ऐसे प्रकरणों में तत्काल द्वितीय किश्त जारी करने की कार्यवाही करें तथा आवासों का पूर्णता प्रतिवेदन प्रषित करें।

3. स्वच्छ भारत मिशनः–

3.1 स्व– सहायता समुह सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 17.12.2017 के देयक के भुगताल के संबंध में श्री अजित तिवारी, उपायुक्त, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) द्वारा अवगत कराया गया कि 10 जिलों द्वारा संबंधित मांग–पत्र प्रेषित किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मांग अनुसार राशि संबंधित जिलों को सुसंगत अनुमोदन पश्चात तत्काल जारी कराई जाये।

3.2 माह मार्च में निर्मित शौचालय की जिलावार समीक्षा की गई। कम प्रगति वाले जिलों को अपनी रणनीति की समीक्षा कर निर्देशानुसार सभी प्रकार की निर्माण एजेंसियों का अधिकतम उपयोग कर प्रगति बढाने के निर्देश दिये गये।

3.3 गुना, सिंगरौली आदि जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण ऐजेंसीयों द्वारा शौचालय निर्माण हेतु चयनित हितग्राहियों के प्रकरणों का राज्य स्तरीय अनुमोदन प्रस्ताव दो दिवस में राज्य स्तर से अनुमोदित किये जांए। समय–सीमा में प्रस्ताव अनुमोदित न होने पर जिला सीधे राज्य कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराएगा।

3.4 दिनांक 02 अप्रेल से 10 अप्रेल 2018 तक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चंपारण बिहार में आयोजित सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह में भाग लेने हेतु चयनित प्रतिभागियों के आने जाने की व्यवस्था रेल रिजर्वेशन इत्यादि जिले द्वारा की जाएगी। इसके लिए traveL Agent का उपयोग कों। wait listed ticket के लिए सम्बन्धित DRM(Divisional Railway Manager) को Railway bord ने निर्देश दिये हैं। Ticket का व्यय एकल खाते से कर सकते हैं जिसे SBM recoup करेगा। जिले के प्रतिभागियों के Travel Plan की सुसंगत जानकारी, राज्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में तत्काल राज्य कार्यालय स्वच्छ भारत मिशन को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही जिला यह सुनिश्चित करेगा। कि राज्य स्तर से अनुमोदित समस्त प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हो।

3.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया एवं अलीराजपुर खुले में शौच से मुक्त घोषित होने के प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2018 क पूर्व राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

4. म.प्र. राज्य आजीविका फोरम :–

मुख्यमंत्री आथिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कई जिलों द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। सभी जिले अनिवार्यतः दिनांक 31.03.2018 से पूर्व वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति करें।

5. म.प्र.पंचायतराज :–

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के जीवन की बेहतरी के लिए अनेको कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में असंगठित श्रमिको के पंजीयन के लिए 01 अप्रैल से 07 अप्रैल 2018 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज ही विशेष अभियान के दिशा–निर्देश एवं प्रचार–प्रसार के लिए फ्लेक्स/ पंपलेट का प्रारूप भेजा जा रहा है।

6. संविदा कर्मचारीयों की हडतालः–

जो अधिकारी/कर्मचारी हड़ताल पर है। उन्हें सेवा समाप्ति के नोटिस भेजे जावे। उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति का लेखा रखें और इस अवधि का वेतन उन्हें नहीं दिया जावे। जो कर्मचारी आदि उपलब्ध नहीं करावें उनके विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावे।

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 05.04.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. महात्मा गांधी नरेगा (वृक्षारोपण कार्य योजना)

1.1 वर्ष 2018 के लिये अधिकोश जिलों द्वारा गूगल शीट में बिना परीक्षण किये वृक्षारोपण के लक्ष्य की प्रविष्टि की गई हैं। सिंचाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि का परीक्षण कर स्व–निर्धारित लक्ष्य की प्रविष्टि आगामी वीडियो कांफ्रेन्स के पहले सुनिशचित करेंगे। राज्य स्तर से वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारण की काई बाध्यता नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2018 तक पूर्ण कर लिया जाए। 15 अप्रेल के बाद स्व–निर्धारित लक्ष्य को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके उपरांत जिलों द्वारा पौधारोपण की कार्य–योजना तैयार कर कार्यवाही प्रांरभ करें।

1.2 वृक्षारोपण वर्ष 2017के सत्यापन एवं गेप फिलिंग की तैयारी में परियोंजनाओं को विगत वर्षो के निर्देशों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों के माध्यम से गेप फिलिंग हेतु आवश्यक तैयारी की जाए।

1.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अवकाश पर जाने की स्थिति में, स्थानातंरण एवं अन्य कारणों से अनुस्थिति की अवधि में, विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 63/ एसीएस/2017 दिनांक 12.09.2017 अनुसार चिन्हांकित अधिकारियों के अतिरिक्त विभाग के अन्य अधिकारियों को भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत से जारी होने वाले FTO के लिए अस्थाई प्रभार दिया जा सकता है। कार्यो की प्रगति में अवरोध उत्पन्न न हो इसलिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अनुरोध पर DSC एक्टिवेट किया जा सकगा।

1.4 ऐसे अधिकारियों का चयन करें जिनके Digital signature यथासंभव पूर्व से तैयार किये गये हों अन्यथा ऐसे अधिकारी को Link officer के रूप में नामांकित कर Digital signatur पूर्व से तैयार करके रखें ताकि विलंबित भुगतान की स्थिति निर्मित न हो।

1.5 मस्टर रोल का भुगतान विहित समय–सीमा में करें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मस्टर रोल 15 दिवस से अधिक अवधि में प्रतिवेदित न हो। इस हेतु ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर नामजद जिम्मेदारी निर्धारित कर औपचारिक आदेश जारी किया जाए। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी अवकाश पर है। तो उत्तरदायित्व किसका होगा यह स्पष्ट होना चाहिए।

1.6 यह सुनिश्चित किया जाए कि काई भी मस्टर रोल विलंबित भुगतान प्रतिपूर्ति श्रेणी में नहीं आए। वित्तीय वर्ष 2013–14 से अब तक विलंबित भुगतान प्रतिपूर्ति का शत–प्रतिशत सत्यापन 20 अप्रेल 2018 तक सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2014–15 में विलंबित भुगतान प्रदर्शित नहीं होने

1.7 विभाग की अनुमति से ही ग्रेवल रोड के नवीन कार्य स्वीकृत किये जा सकगें।

1.8 वर्ष 2018–19 में लेबर बजट की पूर्ति हेतु लिये जाने वाले कार्यो के draft instruction पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा में प्राप्त सुझावों में विगत वर्ष के अपूर्ण कार्यो में 70 प्रतिशत व्यय की स्थिति नहीं होनें पर नवीन कार्य 30 प्रतिशत से अधिक लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1.9 लेबर बजट 2018–19 अनुसार जिलों हेतु स्वीकृत मानव दिवस की पूर्ति हेतु कार्यो के क्रियान्वयन हेतु पूर्व वर्षो के प्रगतिरत कार्य तथा वर्ष 2018–19 में लिये जाने वाले कार्यो की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करें। नवीन कार्य स्वीकुत करते समय NRM works को प्राथमिकता दें।

1.10 CPGRAMS अन्तर्गत सीधी, शिवपुरी (2015) छिंदवाडा, सीहोर (2016) छतरपुर (2018) का निराकरण प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2018 तक भेजना सुनिश्चित करें।

1.11 दिनांक 22.03.18 के VC मिनिटस में महात्मा गांधी नरेगा संबधी बिन्दुओं पर चर्चा आगामी VC में की जाएगी।

2. स्वच्छ भारत मिशन

2.1 अपर मुख्य सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर, दतिया तथा विदिशा को उनके जिले को समय सीमा में

खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने के लिए बधाई दी गई।

2.2 भारत सरकार के बेसनाईन डाटा के परिवारों को डिलीट करने का ऑनलाईन प्रावधान विगत एक वर्ष से प्रचनल मे है। निर्देश दिए गए कि अब परिवारों को डिलीट किये जाने के ऑनलाईन एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए। जिन जिलों में अभी भी परिवारों को डिलीट किया जाना है उनकी जानकारी पृथक से संधारित की जाए तथा उसकी संख्याात्मक जानकारी से मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

2.3 माह मार्च में शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा में जिला राजगढ, बडवानी, बैतूल तथा रतलाम की प्रगति की सराहना की गई तथा शेष जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे माह अप्रेल मे पंचायत/स्व सहायता समूह के माध्यम से निर्मित कराये जाने वाले शौचालयों की संख्या में वांछित प्रगति सुनिश्चित करें।

2.4 कम प्रगति वाले जिलों के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़, मुंगावाली, बडामलहरा, मवई, व्यौहारी एवं कराहल के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कम प्रगति की समीक्षा की गई। संबधित अधिकारियों ने माह अप्रेल में अपनी प्रगति में वांछित सुधार का आश्वासन दिया गया।

जिला पंचायत, अशोकनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 5000 के लक्ष्य को पूरा करनें का आश्वासन दिया है।

2.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली द्वारा यह अवगत कराया गया कि पंचायत द्वारा निर्मित कराये जाने वाले शौचालयों के हितग्राही के लिये ऑनलाईन एप्लीकेशन में आधार नम्बर की अनिवार्यता को निरस्त कर दिया जाये जिससे एजेन्सी के माध्यम से निर्माण में बाधा न उत्पन्न हो। अपर मुख्य सचिव द्वारा 3दिवस के भीतर इसके समाधन हेतु राज्य कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया।

2.6 जिन जिलों में ओडीएफ हो गया है, वहां के प्रेरकों को अन्य जिलों में कार्य प्रगति हेतु आवश्यकता एवं मांग अनुसार भेजने की कार्यवाही की जाए।

3. प्रधान मंत्री आवास योजना– ग्रामीण

3.1 दिनांक 31 मार्च 2018 को प्रदत्त लक्ष्य को केवल इन्दौर एवं देवास जिले ने पूर्ण किया है। सभी जिले जहॉ पर लक्ष्य 4000 से अधिक शेष हैं वे यह सुनिश्चित करें कि आवास पूर्ण करनें में जो कठिनाईयां आ रही हैं उनका शीघ्र निराकरण कर आवास पूर्णता में गति लांए तथा 31 मई 2018 तक सभी लक्षित आवास पुर्ण करना सुनिश्चित करें।

3.2 जिन जिलों द्वारा आवास पुर्ण नहीं होने की स्थिति में आर.आर.सी. जारी की गई है। वे पुनः हितग्राही परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में आवास का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

3.3 वर्ष 2017–18 का लक्ष्य जो दिसम्बर माह में प्रदत्त किया गया था। उसमें शेष स्वीकृतियॉ 10 937 आगामी वी.सी. के पूर्व पूर्ण कर ली जावे। नरसिंहपुर जिले द्वारा अवगत कराया गया कि इस लक्ष्य को 876 त्रुटिवश वर्ष 2018–2019 में स्वीकृत कर दिया गया है। अतः यह लक्ष्य वर्ष 2017–2018 से कम करते हुए वर्ष 2018–2019 के लक्ष्य में वृद्वि की जाती है।

3.4 वर्ष 2018–19 के लक्ष्य के विरूद्व जनपद पंचायत पुष्पराजगढ अनुपपूर, बटियागढ दमोह, पनागर, जबलपुर ,भानपुरा मन्दसौर, सागर, नागौद, उचहेरा, सतना, करैरा, कोलारस, कनियाधाना (शिवपुरी), बैढ़न, सिंगरौली ने लक्ष्य के विरूद्व 10 प्रतिशत से कम एफ.टी.ओ जारी किए है। ये सभी जनपदें आगामी वी. सी. के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2018–19 के विरूद्व शतप्रतिशत एफ.टी.ओ जारी हो जाए।

3.5 सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि प्रदत्त लक्ष्य का पुनर्वितरण कर वर्ष 2017–2018 एवं 2018–19 की Surrender Google Sheet भरें तथा विभाग के पत्र क्रमांक 2504/दिनांक 01.03.2018 में शेष रहे एक कक्ष कच्चा की जानकारी दिनांक 20 अप्रेल 2018 तक सुनिश्चित करें, जिससे लक्ष्यों का पुनर्वितरण राज्य स्तर से किया जा सके।

3.6 जिन जिलों में पटटे या भूमि संबंधी प्रकरण सामने आ रहे हों और लक्ष्य पूर्ति में कठिनाई हो ऐसे लक्ष्यों को सरेण्डर की कारवाई करें ताकि अन्य जिलों को आवश्यकता अनुसार लक्ष्य दिया जा सके।

3.7 आगामी 14 अप्रेल 2018 की ग्राम सभा में सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थाई प्रतीक्षा सूची में नवीन

नाम जोडनें हेतु विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1942/दिनांक 19.02.2018 में दिये गए निर्देशों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करें।

3.8 मेसन प्रशिक्षण में जिन पंचायतों के द्वारा द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया गया है। जनपद पंचायत रौन,गोहद, मैहगाव, (भिण्ड) आलोट, (रतलाम), जावद, नीमच (बड़वानी), बेगमगंज, गैरतगंज एवं बाडीबरेली रायसेन, विदिशा समस्त जनपदें आगामी वी. सी. के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि यहॉ प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाए। प्रथम चरण की CSDCI द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के लिए जो जानकारी जनपद/जिला स्तर से MGSIRD जबलपुर को प्रेषित की जानी है वह जानकारी संस्था को प्रेषित की जावे।

4. पंचायतराज

4.1 असंगिठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सभी जिले सुनिश्चित करें कि उनके जिले की जनपद पंचायतों/ पंचायतों में होर्डिग्स एवं फ्लेक्स लग जाए।

4.2 जिले एवं जनपद पंचायतों के एकल खाते से ऑनलाईन भुगतान व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। जिसके अनुसार भुगतान हेतु समस्त जिला एवं जनपद पंचायतों को निर्देश दिये गए कि वे खाता, ओपनिंग बैलेंस को फ्रीज करें तथा डिजीटल हस्ताक्षर के पंजीयन की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करें।

4.3 दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में ग्राम पंचायतों द्वारा किए गये व्यय तथा Bank balance का Reconciliation करते हुये वित्तीय वर्ष 2017–2018 के समस्त अभिलेख तैयार किये जाएं।

4.4 14 वें वित्त आयोग अन्तर्गत परफॉरमेंस ग्राण्ट के लिये जानकारी समस्त जिला पंचायत प्रपत्र–1 में तत्काल जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।

4.5 15 वें वित्त आयोग द्वारा चाहे गये प्रपत्र के संबंध में आगामी एक सप्ताह में जानकारी निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

4.6 राज्य स्तर से स्वीकृत किये विभिन्न निर्माण कार्यो को नियत समयावधि में प्रारंभ करनें तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सघन पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया।

5 मिशन अन्त्योदय

5.1 जिलों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के गैप तथा इन गैप को कम करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्या की जानकारी प्रेषित की गई थी, जा राज्य स्तर पर संकलित की गयी है। इस संकलित जानकारी की गूगल शीट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अधिकारिक ई–मेल पर नाम से की गई है। आगामी कार्यवाही निम्नानुसार करें :–

- गूगलशीट में अपनें जिले के आंकडों का परीक्षण कर लें। गैप अथवा वर्ष 2018–19 की कार्य योजना में यदि काई सुधार करना है तो आगामी दिनांक 15 अप्रैल 2018 तक कर लें। तत्पश्चात यह शीट फ्रीज कर दी जाएगी।
- उक्त कार्ययोजना के अनुरू चिन्हित ग्राम पंचायत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यो का कियान्वायन संबंधित योजना के अंतर्गत प्रारंभ कर पूर्ण करायें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्रत्येक माह उक्त कार्ययोजना के विरूद्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यो की प्रगति की मोंनिटरिंग करें।

5.2 अन्य सहभागी विभगों की वार्षिक आयोजना में मिशन अंत्योकदय की ग्राम पंचायतों में लिये जा सकने वाले कार्यो को करने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक 1769 दिनांक 13 फरवरी 2018 में निर्देश दिये गये थे। पुनः सचिव कहोदय ने भी अर्द्व शासकीय पत्र 2812 दिनांक 12 मार्च 2018 प्रेषित किया है। इस सबंध में त्वरित कार्यवाही करें और अन्य विभागो के जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारियों तथा विकासखंड स्तरीय आधकारियों को चयनित करने हेतु कलेक्टर के माध्यम से निर्देशित करें। मुख्य कार्यपालन आधकारी , जिला पंचायत अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो की प्रगति भी प्रत्येक माह मॉनिटर करें।

5.3 चयनित ग्राम पंचायतों के क्लस्टर का गठन संबंधी जानकारी भोपाल, दतिया, होशगाबाद, इन्दौर, झाबुआ, खण्डवा, मुरैना, सिवनी, एवं उज्जैन को छोड़कर अन्य जिलों से जानकारी अप्राप्त है। यह जानकारी शीघ्र भेजें।

''पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प'' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला

पृष्ठ–भूमि

वर्ष 1993 में पंचायतों को सशक्त करने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन किया गया। यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत में प्रमुख रूप से ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने, पंचायतों के गठन करने, पंचायतों की संरचना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग, महिलाओं के लिए पंचायतों में स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था, पंचायतों की अवधि पॉच वर्ष किये जाने, सदस्यता के लिए निरर्हताएं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित प्रावधान शामिल किये गये।

कार्यशाला का आयोजन

पंचायत सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इस उपलक्ष्य में वर्ष 2010 से प्रति वर्ष देश में 24 अप्रैल को ''राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2018 को ''पंचायत द्वारा ग्रामीण

क्षेत्रों का कायाकल्प'' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला प्रदेश के जबलपुर में आयोजित की गई।

उद्घाटन सत्र

कार्यशाला मे देश के 33 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं विभाग के अधिकारी उपस्थित हुये। कार्यशाला की शुरूआत माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। कार्यशाला के प्रारंभ में डॉ. बाला प्रसाद, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। कार्यशाला की रूपरेखा एवं उद्देश्यों को अपने उद्बोधन में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री अमरजीत सिन्हा द्वारा बताया गया। इस सत्र में श्री राकेश सिंह, माननीय सांसद, संसदीय क्षेत्र जबलपुर, श्री परूषोत्तम रूपाला, माननीय केन्द्रीय पंचायती राज और कृषि कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा उद्बोधन दिया गया।

इस अवसर पर श्री गोपाल भार्गव, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश शासन, द्वारा प्रदेश में पंचायतों के सशक्तीकरण एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं का उल्लेख करते हुये बताया कि प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य किये जा रहे हैं।

कार्यशाला में पधारे मुख्य अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं खान मंत्री द्वारा पंचायती राज सशक्तीकरण के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुये इस दिशा में कार्यशाला की सार्थकता और महत्व बताया गया।

श्रीमती शालिनी प्रसाद, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी अतिथियों एवं कार्यशाला में पधारे विभिन्न राज्यों के पंचायतराज पदाधिकारियों को धन्यवाद् दिया गया।

समूह चर्चा

इसके बाद ''कार्य समूह चर्चा और अनुशंसाओं को अंतिम रूप देने'' के उद्देश्य से कार्यशाला के लिए चिन्हित पॉच विषयों यथा 1. जीपीडीपी–पंचायतों में आर्थिक विकास और आयोजना 2. पंचायतों में सामाजिक विकास और सत्त विकास लक्ष्य 3. युवा पंचायत–नया भारत, नई सोच 4. डिजीटल पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प 5. स्वच्छ भारत अभियान पर प्रतिभागियों द्वारा अपने–अपने समूह में समूह चर्चा की गई जिसकी समूहवार रिपोर्ट आगे दी गई है।

समूह चर्चा में उभरे मुद्दों, अनुशंसाओं का प्रस्तुतिकरण

कार्यशाला में समूह चर्चा के लिए चिन्हित किये गये पॉच विषयों यथा 1. जीपीडीपी–पंचायतों में आर्थिक विकास और आयोजना 2. पंचायतों में सामाजिक विकास और सत्त विकास लक्ष्य 3. युवा पंचायत–नया भारत, नई सोच 4. डिजीटल पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प 5. स्वच्छ भारत अभियान पर समूह चर्चा के दौरान उभरे मुद्दों और अनुशंसाओं का पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन सभी प्रतिभागियों, माननीय अतिथियों, अधिकारियों के सामने किया गया।

समापन सत्र

सभी समूहों की प्रस्तुति के उपरांत श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यशाला के समापन अवसर पर उद्बोधन दिया। कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खान मंत्री, भारत सरकार द्वारा संबोधित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव डॉ. बाला प्रसाद द्वारा आखिर में धन्यवाद् ज्ञापन किया गया।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) – पंचायतों में आर्थिक विकास और आयोजना पर समूह चर्चा

इस समूह में लक्ष्यदीप, केरल, झारखंड, मणीपुर और मध्यप्रदेश राज्य से पधारे पंचायत पदाधिकारियों द्वारा चर्चा में सहभागिता दी गई। समूह की अध्यक्षता श्री जयदीप गोविंद, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास, भारत सरकार और सह–अध्यक्षता डॉ. प्रदोष शर्मा, निदेशक, सेंटर फॉर लॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडिज, नई दिल्ली द्वारा की गई। समूह चर्चा के प्रतिवेदक की भूमिका में श्री सुरेन्द्र प्रजापति, संकाय सदस्य, महात्मा गॉधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर, सुश्री प्राची जैन, अनुसंधान सहायक, पंचायती राज मंत्रालय, श्री कुणाल, परामर्शी, पंचायती राज मंत्रालय थे।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)

समूह चर्चा के प्रारंभ में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के स्वरूप और आश्यकता के विषय पर चर्चा की गई। चर्चा में बताया गया कि, व्यवस्थित तरीके से पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं के मध्य व्यवहारिक सामंजस्य करते हुये पंचायतों द्वारा अपनी योजना तैयार की जानी चाहिए।

संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी योजनाऐं बनाई

जाती हैं। सामान्यतः देखने में आया कि, ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी योजना में तात्कालिक आवश्यकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। योजना तैयार करने के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रयासों में कमी दिखाई दे रही थी। इससे आवश्यकताओं और संसाधनों के बीच बड़ा अंतर होने से ग्राम पंचायतों के विकास का मार्ग बाधित होता था।

अब ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के दिशा–निर्देशों के अनुसार पंचायतें अपनी–अपनी वार्षिक योजना तैयार करती हैं। जिसमें संसाधनों की उपलब्धता और आवश्कताओं की पहचान करने के लिए विभिन्न तकनीक, बजट, आवश्यकताओं की प्रथमिकता तय करना, ग्राम पंचायत में करवाये जाने कार्य, डाटा फीडिगं आदि तत्वों का समावेश किया गया है।

समूह चर्चा में विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां निम्नानुसार बताई गई :–

चुनौतिया :–

- ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायतें, अधिक कार्य अंधोसंरचना विकास, निर्माण कार्य शामिल करती हैं। इस कारण से पंचायत विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक विकास के मुद्दों को योजना में स्थान कम ही मिल पाता है।
- जी.पी.डी.पी. के अंतर्गत सामाजिक विकास के क्षेत्र से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, महिला सुरक्षा एवं जेण्डर समानता आदि विषयों को एक जो योजना में कम ही शामिल किया जा रहा है और जहां इन विषयों को लिया भी गया है, वहां पर, विभिन्न लाईन डिपार्टमेंट में समन्वय का अभाव दिखाई देता है। जिससे इस प्रकार के सामाजिक कार्यो का क्रियान्वयन भी परिणामदायी नहीं हो पा रहा है।
- पंचायतों द्वारा स्वयं की आय के स्त्रोतों का अर्जन करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- पिछले कुछ दशकों से निरंतर ग्रामीण विकास एवं स्थानीय सुशासन हेतु अनेकों प्रयास किये जा रहे है, परन्तु फिर भी अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नही हो रहे हैं।
- ग्राम विकास योजना बनाते समय आमजन, बच्चों, युवाओं, महिलाओं की भागीदारी लेने में विभिन्न बाधाएं आती हैं।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार से ग्राम पंचायतों को जिन उद्देश्यों के लिए राशि दी जाती है, उनके लिए राशि का उपयोग नहीं हो पाता है।
- शासन से मिलने वाली राशि से तो पंचायतों में कार्य करवाये जा रहे हैं किन्तु, गांव विकास के लिए समुदाय की भागीदारी लेने में परेशानी होती है। जहां तक की शून्य लागत और कम लागत वाले कार्यो में लोगों की सहभागिता मिलना मुश्किल होता है।

- कुछ विशेष विकास योजनाओं को समय–सीमा में पूर्ण कराना बड़ी चुनौती है।
- पंचायत द्वारा संसाधनों के उपयोग की एक तार्किक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था बनाने में कठिनाई होती है।

अनुशंसाएं :–

- ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय आमजन, बच्चों, युवाओं, महिलाओं की भागीदारी की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने का दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों का होना चाहिए।
- पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली जीपीडीपी योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए येाजना में लागत रहित कार्यो को जोडे जाने का सुझाव दिया गया। (मध्यप्रदेश)
- गांव के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु संबंधित विभागों के अधिनियमों, गाइडलाईन में विशेष प्रावधान किये जावें। (झारखण्ड)
- ग्राम पंचायतों का जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से अच्छे समन्वय हेतु आवश्यकतानुसार और निरंतर बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिये।
- पंचायत बजट में 10 प्रतिशत राशि महिला सशक्तिकरण हेतु रखी जाती है। (केरल) इस प्रकार के प्रावधान अन्य राज्यों में भी किये जा सकते हैं।
- ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय सतत् विकास के वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि में हितग्राही मूलक कार्यो के लिए राशि में बढोतरी की जानी चाहिये।
- मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- पंचायतों में उपयोग में आने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और मोबाईल एप्स को ''यूजर फ्रेन्डली'' बनाने की आवश्यकता है।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देश, आदेश, जानकारियां दी जाती हैं। इनके संकलन को ग्राम पंचायत स्तर तक स्थानीय भाषा में प्रकाशित कर भेजा जावे।

सुरेन्द्र प्रजापति,
संकाय सदस्य

''पंचायतों में सामाजिक विकास और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)'' पर समूह चर्चा

इस समूह में चंडीगढ़, उडीसा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, मध्यप्रदेश राज्य से पधारे पंचायत पदाधिकारियों द्वारा चर्चा में सहभागिता दी गई। समूह की अध्यक्षता श्रीमती शालिनी प्रसाद, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और सह–अध्यक्षता डॉ. के. एस. सेठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं डॉ. वी. एन. आलोक, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा की गई। समूह चर्चा के प्रतिवेदक की भूमिका में डॉ. संजय कुमार राजपूत, संकाय सदस्य, महात्मा गॉधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर एवं सुश्री सास्वति मिश्रा, परामर्शी, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार थे।

समूह चर्चा के दौरान श्री गोपाल भार्गव, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश शासन, द्वारा मध्यप्रदेश की पंचायतराज व्यवस्था में सामाजिक विकास की दिशा किये गये अभिनव प्रयासों पर चर्चा एवं विचार–विमर्श किया गया।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

समूह चर्चा के प्रारंभ में सतत विकास (एसडीजी) के लक्ष्यों पर चर्चा की गई। चर्चा में निम्नानुसार लक्ष्यों का बताया गया :–

- गरीबी को खत्म करना, लिंग समानता लाने के लिए सभी को जागरूक करना और सभी के लिए कल्याण और शांति सुनिश्चित करना।
- भारत सरकार वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वचनबद्ध है और इस

हेतु भारत शासन द्वारा अनुबंध में हस्ताक्षर भी किये गये हैं।

- सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्थानीय स्वशासन को अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

उपरोक्तानुसार लक्ष्यों पर चर्चा करने के बाद पंचायत के सामाजिक मुद्दों पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों से उनके विचार, एक पेपर पर लिख कर लिये गये। संकलित किये गये विचारों को मुद्देवार वर्गीकृत कर, उन पर चर्चा आगे बढ़ायी गई। समूह चर्चा में निम्नानुसार पंचायतों से संबंधित सामाजिक मुद्दे आये :–

पंचायत के सामाजिक विकास मुद्दे – चुनौतियां एवं अनुशंसा :

शिक्षा

ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नानुसार अनुशंसाएं की गईः–

- शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय बजट में बढ़ोत्तरी की जावे।
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु कम्प्यूटरीकृत मॉनीटरिंग मैकनिज्म बनाया जावे।
- विद्यालयीन बुनियादी ढांचे का विकास हेतु पेयजल, स्वच्छता और सीखने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में आदर्श मानक निर्धारित किये जावें।
- बालिका शिक्षा के साथ ही साथ वंचित वर्ग की छात्राओं की शिक्षा के लिए हेतु विशेष सुवधिाओं के पैकेज तैयार किये जावे।
- विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सत्रों का आयोजन करने की व्यवस्था की जावे। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों को भी लाभ हो सकेगा।

सामाजिक समानता एवं समरसता

पंचायतों की गतिविधियों में सामाजिक समरसता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्न अनुशंसाएं की गई :–

- वंचित वर्गो, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को पंचायत द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित करने के लिए राज्यों के पंचायती राज अधिनियम में विशेष प्रावधान किये जावें।
- विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं और बालिकाओं हेतु सफाई और स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु साफ शौचालय एवं सेनटरी नेपकिन पेड के विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायतों द्वारा विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करवाई जावें।
- पंचायतों द्वारा शराब और नशीली दवाओं को अपने स्तर पर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर, शराब बंदी और नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगा सकती है।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों या संभावित उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए शराब का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता है।

जेण्डर समानता

लिंग अनुपात, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, यौन हिंसा, महिलाओं की कानूनी साक्षरता प्रदान करने जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्न अनुशंसाएं की गई :–

- बाल विवाह की जांच के लिए सरकार, पंचायतें और सामाजिक स्तर पर सामूहिक प्रयास करने के लिए विशेष प्रयास किये जावें।
- विद्यालय में बालिका के नामांकन और उनकी निरंतर शिक्षा हेतु प्रत्येक पंचायत में विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।
- महिलाओं के समूह और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए लगातार क्षमतावर्धन गतिविधियां आयोजित करना।
- लिंगानुपात का रिकार्ड पंचायतवार रखा जावे। महिला और पुरूषों की संख्या में आने वाले परिवर्तनों की समीक्षा, विश्लेषण और सुधार की कार्यवाही की जावे।

गांव से पलायन

गांवों से लोगों का पलायन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रोजगार की तलाश के लिए बहुत से ग्रामीण जन अपने गांव से पलायन कर जाते हैं। जिससे उनके परिवार में अनेकों परेशानियां आती हैं। अतः पलायन की रोकथाम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। इस हेतु पंचायत स्तर पर उद्यमिता और कौशल विकास गतिविधियों को और अधिक बढ़ाने की अनुशंसा की गई।

बाल श्रम

बाल श्रम की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ रही है। कृषि कार्य, घरेलू कार्यो में बालकों से काम लिया जाता है। पंचायतों में बाल श्रम की जानकारी की कमी दिखाई दे रही है। इसके लिए निम्न अनुशंसाएं की गई :–

- बाल श्रम की परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या की आवश्यकता है।
- बाल श्रम की रोकथाम कृषि कार्य, घरेलू कार्य, छोटे–छोटे काम घंधों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय भी खोजे जावें।
- बाल श्रम के खिलाफ कानून और एकीकृत बाल विकास सेवाएं, लोक वितरण प्रणाली के साथ ही साथ बालकों से संबंधी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सशक्त बनाया जावे।
- बाल मित्रता पूर्ण पंचायतों के मानक निर्धारित कर उनका कियान्वयन किया जावे।
- शाला त्यागी बच्चों को पुनः विद्यालय में नामांकन एवं उन पर निरंतर ध्यान देने के

लिए सतत निगरानी और अनुश्रवण प्रणाली विकसित की जावे।

सामाजिक बुराईयां

समाज में दहेज, शराब, व्यसन आदि बुराईयों की रोकथाम के पंचायत स्तर पर सशक्त उपाय करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की पहुॅच एक कठिन चुनौती है। स्वास्थ्य सेवा को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुॅचाने के लिए अनुशंसा की गई कि, पंचायतों से स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग का सामंजस्य बढ़ाया जावे। स्वास्थ्य सेवा की पहुॅच प्रत्येक गांव तक हो इसके लिए मॉनीटरिंग मैकनिज्म बनाया जावे।

पंचायतों द्वारा किये जाने वाले उत्कृष्ट कार्य

चर्चा के दौरान विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अपने अनुभव भी बताये। जिनमें उन्होनें अपने क्षेत्र में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यो की चर्चा की, प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :–

- पंचायत द्वारा कन्या के जन्म के अवसर पर उसके नाम से बैंक खाता खुलवाया जाता है। कन्या की बाल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक उसे वित्तीय सहायता दी जाती है। (ओडिशा)
- जिन महिलाओं के घर का कोई सदस्य शराब एवं नशीली दवाओं का सेवन करता है, उस सदस्य पर पंचायत जुर्माना लगाया जाता है। परिवार की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। (हरियाणा)
- बाल श्रम में लगे हुये बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर उन्हें विद्यालयों में पंचायतों के सहयोग से प्रवेश दिलाया जाता है। (ओडिशा)
- बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु विद्यालय की बुनियादी अधोसंरचना विकसित की गई है। (पंजाब)
- ई–साक्षरता हेतु स्मार्ट क्लास रूप में स्थापना की गई है। (पंजाब, मध्यप्रदेश)

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

''युवा पंचायत – नया भारत, नई सोच'' पर समूह चर्चा

इस समूह चर्चा में अंडमान एवं निकोवार, अरूणचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्कम, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य से पधारे पंचायत पदाधिकारियों द्वारा सहभागिता दी गई। समूह की अध्यक्षता श्री जे. एस. माथुर, पूर्व सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और सह–अध्यक्षता श्री बाला प्रसाद, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई। समूह चर्चा के प्रतिवेदक की भूमिका में श्री पंकज राय, संकाय सदस्य, महात्मा गॉधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर, श्री अंजनी कुमार तिवारी, परामर्शी, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री आदित्य विक्रम सिंह, परामर्शी, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार थे।

समूह चर्चा के प्रारंभ में युवा पंचायत – नया भारत, नई सोच विषय को स्पष्टता के साथ बताया गया। चर्चा में जानकारी दी गई कि, एक पंचायत में युवाओं की भागीदारी को नयी सोच के साथ किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :–

सकारात्मक सोच

पंचायतराज व्यवस्था के प्रति युवाओं में सकारात्मक सोच को विकसित करना आवश्यक है। 18 से 45 वर्ष के युवा अपनी पंचायत को आगामी 10 वर्ष में कहॉ देखना चाहते है। इस सोच के

कियान्वयन के लिए सकारात्मक वातावरण निर्माण करना भी जरूरी होगा।

ग्राम सभा का आयोजन –

ग्राम सभा के दौरान ''युवा सभा'' का भी अनिवार्य रूप से ग्राम स्तर पर आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ युवा महिला का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना।

ई–पंचायत को मजबूत करना –

ई–पंचायत के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को ग्राम के युवाओं तक पहुंच बढ़ाना।

ग्रामीण रोजगार –

ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधि द्वारा प्रेरित किया जाये। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत अवसरों की खोज की जाये।

मोबाईल एप्प –

सूचना तंत्र के माध्यम से ''युवा पंचायत मोबाईल एप्प'' को विकसित करना जिसके माध्यम से शिक्षा, रोजगार, कृषि एवं व्यवसाय में नवीनतम जानकारी एक ही स्थान पर सुविधा पूर्वक युवाओं को उपलब्ध हो जाए।

जिला जनपद एवं ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण –

त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था अंतर्गत युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की जानकारी का होना आवश्यक है इसके लिए वृहद रूप से कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।

युवा नेतृत्व विकास को बढ़ावा देना –

ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु युवा नेतृत्व एवं कौशल विकास के माध्यम से सकारात्मक बदलाव के

लिए संकल्पित किया जाना चाहिए।

युवा पंचायत महोत्सव आयोजन –

ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यो को जिला एवं जनपद स्तर पर युवा पंचायत महोत्सव के माध्यम से पुरूष्कृत किया जाये एवं ग्राम पंचायतों

द्वारा लिये गये निर्णयों की जानकारियों को साझा कर सके।

मेरी सोच मेरी पंचायत –

ग्राम पंचायत स्तरों पर विस्तृत रूप से 15 दिवसीय ''मेरी सोच मेरी पंचायत'' अभियान चलाया जाना चाहिये। जिसके अंतर्गत समस्त विभागों की योजनाओं की जानकारी कार्यशाला, प्रशिक्षण, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि के माध्यमों से ग्रामीण युवाओं को जानकारी दी जावे।

अनुशंसाएं

- भारत की कुल आबादी का लगभग 20 प्रतिशत भाग, युवाओं का है। जिसमें अधिकांशतः युवा ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। जिनके लिए पंचायतों के सशक्तीकरण एवं ग्रामीण विकास हेतु सुनहरे अवसर सामने हैं। इसी लिए युवाओं को पंचायतों में विशेष रूप से स्थान दिया जाने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना में युवाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से ली जावे। जिसमें पंचायतें खेल, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें।
- पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन में उम्मीदवार की न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य आधार बनाया गया है। जिससे वहां की पंचायतों में शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधि चुन का आ रहे हैं। (हरियाणा)
- **बदलता भारत** – युवाओं से अपेक्षाएं, ग्रामीण विकास से अपेक्षाएं, पंचायत से स्वयं के आय के स्त्रोत बढ़ाने की अपेक्षा
- **नई सोच** – युवाओं द्वारा आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता एवं समानता, युवाओं के सहयोग से जीपीडीपी तैयार करना एवं योजना का कियान्वयन
- जलसंरक्षण एवं प्रबंधन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना

पंकज राय
संकाय सदस्य

"डिजीटल पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प" पर समूह चर्चा

इस समूह में आंन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडू, तेलगांना, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड़, महाराष्ट्र, एवं जम्मू–कश्मीर राज्यों से पधारे पंचायत पदाधिकारियों द्वारा चर्चा में सहभागिता दी गई। समूह की अध्यक्षता श्री डी. सी. मिश्र, उपमहानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) और सह–अध्यक्षता सुश्री मनी कनेजा, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई। समूह चर्चा के प्रतिवेदक की भूमिका में श्री आशीष दुबे, प्रोग्रामर, महात्मा गॉधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर, श्री कथिरेशन, एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद एवं सुश्री कर्णिका, परामर्शी, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार थे।

डिजीटल पंचायत

समूह चर्चा के प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजीटल पंचायतों की आवश्यकता और व्यस्थाओं के संबंध में बताया गया। भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को आधुनिकता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीकों में बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण और ई–गवर्नेंस को हमेशा प्रोत्साहन दिया है। डिजिटल इंडिया की अवधारणा, भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान

अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

पंचायती राज मंत्रालय ने ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के माध्यम से डिजिटल इंडिया की अवधारणा को साकार करने की पहल की है। ई–पंचायत एमएमपी अपनी तरह की पहल में से एक है जिसका उद्देश्य स्थानीय सरकारों के शासन में सुधार करना है और पंचायतों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता बढ़ाने के प्रयास हैं। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को आम लोगों के लिए आम सेवा वितरण आउटलेट के माध्यम से सुलभ बनाना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और

विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

ई–पंचायत एमएमपी के उद्देश्यः–

- पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुधार के लिए आईसीटी का उपयोग।
- पंचायतों की आंतरिक वर्कफ्लो प्रक्रियाओं का स्वचालन जैसेः– नियोजन, निगरानी, कार्यान्वयन, बजट, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक सेवाओं की डिलीवरी जैसे प्रमाणपत्र, लाइसेंस इत्यादि।
- नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक वितरण के माध्यम से स्थानीय स्व–सरकार के शासन में सुधार।
- पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों और अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमतावर्धन।

चुनौतियां

कार्यशाला में उपस्थित पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में डिजीटल पंचायत में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। प्रमुख चुनौतियां निम्नानुसार हैं :–

- कम्प्यूटर इन्टरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है।
- सुदूर क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता नहीं है।
- ग्राम पंचायतों में कार्य करने हेतु कुशल मानव संसाधन की कमी है।

अनुशंसाएँ –

कार्यशाला में उपस्थित पंचायत पदाधिकारियों द्वारा डिजीटल पंचायत के लिए निम्नानुसार अनुशंसाएं की गई :–

- सभी पंचायतों में भारतनेट के माध्यम से ब्राडबैण्ड एवं वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता

पड़ने पर निजी कंपनियों द्वारा वैकल्पिक कनेक्टविटी उपलब्ध कराये जाना चाहिये।

- प्रत्येक पंचायत में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
- पंचायत भवनों में सेवाओं के वितरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का क्रियान्वयन किया जावे।

- पंचायत पदाधिकारी एवं अधिकारी/कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने चाहिये।
- शासन स्तर से ई–पंचायत की अवधारणा को साकार रूप में परिवर्तित करने हेतु निश्चित समयावधि एवं योजना का निर्धारण किया जावे।
- डाटा वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, डिजीटल हस्ताक्षर आदि विषयों पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित करवाये जाने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक पंचायत की वेबसाइट बनवाई जावे। इसके लिए एक सी डिजाईन वाले वेवसाईट के मानक बनाये जावें।

उत्कृष्ट कार्य

कार्यशाला में उपस्थित पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यो से संबंधित अनुभव साझा किये गये। कुछ कार्य निम्नानुसार हैं :–

- ग्राम पंचायत पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड की गई है। पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेजों का डिजीटलाइजेशन का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। यह कार्य लगातार किया जावेगा। (महाराष्ट, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश)
- पंचायत में एकाउन्टिंग सिस्टम को पूर्णतः ऑन लाईन किया गया है। (आन्ध्र प्रदेश)

आशीष दुबे
कम्प्यूटर प्रोग्रामर

''स्वच्छ भारत अभियान'' पर समूह चर्चा

इस समूह में बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य से पधारे पंचायत पदाधिकारियों द्वारा चर्चा में सहभागिता दी गई। समूह की अध्यक्षता श्री पलाश सारंगी, परामर्शी, यूनीसेफ तथा समूह चर्चा के प्रतिवेदक की भूमिका में श्री नीलेश कुमार राय, संकाय सदस्य, महात्मा गॉधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र, जबलपुर, श्री गिरीश वशिष्ठ, रिसर्च एसोसिएट, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री मोनिका मीना, ए.एस.ओ. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार थे।

समूह चर्चा में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत गतिविधियों के कियान्वयन में आने वाली निम्नानुसार चुनौतियां बतायी गई :–

चुनौतियॉ

- व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए हितग्राहियों को रू. 12000 की सहायता राशि शासन द्वारा दिये जाने का प्रावधान है किन्तु, यह राशि हितग्रहियों को मिलने में परेशानी हो रही है। लोगों को कर्ज लेकर शौचालय बनाने पडते है।
- स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) के माध्यम से निर्मित किये जाने वाले शौचालयों की गुणवत्ता ठीक नही होती है। कई मामलों में तो शौचालय वास्तव में बनते ही नहीं हैं और निर्माण कार्य पेपर में ही पूरा होना बता दिया जाता है।
- बहुत सी पंचायतों में हितग्राहियों के यहां बनाये गये शौचालय में पानी की कमी होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।
- बेसलाईन सर्वेक्षण में ऐसे परिवार जो शामिल नहीं हो पाये थे उन परिवारों को शौचालयों की जरूरत होने के बावजूद भी शासन से सहायता राशि नहीं मिल पा रही है।
- बिहार मे शौचालय का निर्माण अन्य विभाग द्वारा किया जाता है जिससे ग्रामीण समुदाय की सहभागिता नही हो पाती है।
- हितग्राहियों को व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए निर्धारित सहायता राशि समय पर नहीं मिल पाती है। जिससे हितग्राहियों को शौचालय बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी–कभी तो वे इस कार्य प्रति उदासीन हो जाते हैं और दोबारा शौचालय बनवाने के लिए तैयार ही नहीं होते।
- उत्तरान्चल मे खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) पंचायत एक बार हो जाने के बाद वह आगे भी ओडीएफ रहे यह सुनिश्चित करना जरूरी है। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहां पर बाद में पंचायतों में फिर से खुले में शौच जाना लोगों द्वारा प्रारंभ कर दिया गया।

अनुशंसाएं

- व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के लिए सहायता राशि हितग्राहियों को समय पर मिले इस प्रकार के प्रयास किये जावें।
- शौचालय निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया जावे।
- खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) पंचायत की राशि सीधे पंचायत के खाते में प्रदान की जानी चाहिये।
- पंचायत क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय बनाने और उनके संचालन की समुचित व्यवस्था करवाया जाना जरूरी है।
- शौचालय के साथ निस्तार के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
- स्वच्छ जल के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये।
- 14वॉ वित्त में सामुदायिक शौचालय के लिए प्रावधान किया जाना चाहिये।
- खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) की प्रकिया ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना चाहियें।
- ठोस अपशिष्ट पदार्थो को एकत्रित कर लिया जाता है किन्तु उसके समुचित निपटान के प्रबंधन में अभी भी कठिनाई होती है। अतः, इसके प्रबंधन की तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुॅचाने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभाओं में खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) स्थाई एजेण्डा बनाया जावे।
- ग्राम पंचायत को मॉनिटरिंग और वित्तीय अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय का उपयोग करने से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- शौचालय हितग्राही द्वारा ही बनाया जाना चाहिये।
- बाढ प्रभावित क्षेत्र में शौचालय का डिजाईन अलग होना चाहिये।
- जो लोग खुले में शौच करते है उन पर दण्ड शुल्क लगाना चाहिये।
- स्वच्छ वातावरण बनाने में लोगों की सहभागिता होनी चाहिये।
- शौचालय बनाये जाने पर सामग्री पर जी.एस. टी. न लगाया जाये।
- स्वच्छता के विषय को प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में जोडा जाये।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य

पिछले अंक से आगे .....

(अनुच्छेद 243 ज.) पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां

राज्य विधानमण्डल पंचायतों को विनिर्दिष्ट कर, शुल्क, पथकर, फीसें लेने, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को राज्य द्वारा बनाये गये नियमानुसार प्राधिकृत कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले कर, शुल्क, पथकर और फीसें लेने का दायित्व सौंपा जा सकता है। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा और पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(अनुच्छेद 243 झ.) वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन

राज्य का राज्यपाल इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के अंदर तथा इसके बाद प्रत्येक पॉच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और समुचित सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगें।

राज्य वित्त आयोग, राज्य द्वारा लगाये गये करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों से प्राप्ति और पंचायतों के बीच वितरण, राज्य की संचित निधि में से पंचायत के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में, पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्य द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफरिश करेगा। राज्यपाल इन सिफारिशों को इस व्याख्या के साथ कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या प्रयत्न किये गए, राज्य विधान मण्डल में रखवायेगा।

(अनुच्छेद 243 त्र.) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा

राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

(अनुच्छेद 243 ट.) पंचायतों के लिए निर्वाचन

पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जावेगा। राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जावेगा।

(अनुच्छेद 243 ठ.) संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना

इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान–मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में,

जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों।

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

(अनुच्छेद 243 ड.) इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना

इस भाग कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड एक में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड दो में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। अर्थात नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं वहां इस भाग की कोई बात लागू नहीं होगी।

इस भाग की कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विद्यमान हैं, किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती हैं।

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, खण्ड दो उपखंड ''क'' में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा इस भाग का विस्तार, खंड एक में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाए, यदि कोई हों, उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधान सभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है।

संसद्, विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार, खंड एक में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि में

विनिर्दिष्ट किए जांए और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

(अनुच्छेद 243 ढ.) विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

इस भाग के किसी बात के होते हुए भी संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान–मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशाधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा।

परन्तु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान–मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

(अनुच्छेद 243 ण.) निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 243 ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन या एसे निर्वाचन–क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित हैं, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई हैं, जिसका किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

संवैधानिक प्रावधानों का राज्यों में कियान्वयन की स्थिति

पंचायतों के सशक्तीकरण की दिशा में वर्ष 1993 में किये गये संशोधनों से ग्रामीण जनसमुदाय को बहुत सी अपेक्षाएं थीं। अनुच्छेद 243 में शामिल किये गये प्रावधानों में से अधिकांश में राज्यों को अपनी ओर से पहल करना था और अपने राज्य के पंचायतराज कानून में इन्हें क्रियान्वित करने की दिशा में विशेष प्रयास करना था। बहुत से राज्यों ने ऐसे प्रयास किये भी हैं। जिनके सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां यह कहना की सर्वथा उपयुक्त होगा कि, संविधान के शामिल किये गये पंचायत से संबंधित प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 243(छ) में राज्य विधान मंडलों के द्वारा पंचायतों की शक्तियों तथा अधिकार देने की बात कही गई है जो उन्हें स्व प्रशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिये योजनायें बनाने के संबंध में आवश्यक हैं और ऐसे कानून में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनायें बनाने के संबंध में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों की शक्तियां तथा दायित्व के हस्तांतरण के भी उपबंध शामिल हैं ।

अपेक्षा की गई थी कि राज्य सरकारें निर्धारित समय सीमा में संविधान संशोधन अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगें तथा उपाय करेगें। सोचा तो यहां जा रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने क लिये लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के एक नये युग की संभावना होने होनें कोई संदेह नहीं। देश के विभिन्न राज्यों ने इस दिशा में सार्थक प्रयास किए भी हैं किन्तु अभी इस दिशा में सार्थक पहल और समुचित प्रयास करना होगा।

इस अधिनियम में अन्तर्गत 243(क) के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को महत्वता देने की बात कही गई किन्तु उसका स्वरूप, कार्य संचालन पद्धति तय करने के लिये जबावदेही राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दी गई है इससे ग्राम सभा की सहभागिता एवं कार्यपद्धति में अस्पष्टता बनी हुई है । इसी प्रकार 243(छ) में ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों की योजनाओं को पंचायतराज संस्थाओं को सुपुर्द किया गया है । विषयों की सूची के साथ यह मार्गदर्शन नहीं दिया गया है कि ये विषय किस तरह पंचायतें पूरी करेगें और पंचायतों की तथा शासन के विभागों की सहभागिता, उत्तरदायित्व तथा प्रकिया किस प्रकार निर्धारित होगीं । इस लिये राज्यों द्वारा अपने अपने स्तर से ही अपने अपने ढ़ंग से विषयों का कार्यान्वयन करवाया जा रहा है ।

अगर हम पंचायतराज संस्थाओं के द्रष्टिकोण से उक्त परिवर्तनों और व्यवस्थाओं के बदलाव को देखें तो यह प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है । इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन द्वारा मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया है । संवैधानिक दर्जा दिये जाने से उनका अस्तित्व सुरक्षित हो गया है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इससे पंचायतों के गठन में एकरूपता आयेगी और इनके निर्वाचन नियमित होगें । वास्तव में पिछले वर्षो में राज्य ऐसा हुआ भी है ।

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को न केवल प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए बल्कि वित्तीय संसाधनों की गारंटी भी प्राप्त हुयी है जिससे ग्रामीण विकास में सहायता प्राप्त हो सकी है। इस तरह नया संविधान पंचायतराज कानून पूर्णतः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, चुनावों की वैधानिक अनिवार्यता, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, उर्ध्वगामी नियोजन प्रक्रिया के साथ समायोजन की विशेषता रखता है।

संदर्भ स्त्रोत :

(1) भारत का संविधान (1 जून, 1996 को यथाविद्यमान), 1996, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड

(2) दि कांस्टीट्यूशन (सेवेंटी सेंकेंड अमेंडमेंट) बिल, 1992 का हिन्दी अनुदान, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992

(3) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, भीमसेन खेत्रपाल एवं हुकमचन्दं जिन्दल, पूजा लॉ हाउस, उन्नीसवॉ संस्करण, वर्ष 2017

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

संस्थान में पालनाघर (क्रेच) का शुभारंभ

दिनांक 04 मई 2018 को श्री संजय कुमार सराफ, संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर के कर कमलों द्वारा

संस्थान में पालनाघर (क्रेच) का शुभारंभ किया गया। जिसमें संस्थान के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे और संस्थान में एक नई सुविधा के शुभारंभ पर सभी के द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया।

संस्थान प्रत्येक वर्ष में पंचायतराज नव–निर्वाचित पदाधिकारी के लिये, ग्राम स्तर पर नेतृत्व लेने वाले लोग, सामाजिक बदलाव ला सके ऐसी महिलायें, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी के लिये प्रशिक्षण आयोजित करता है। लिंग (जेण्डर) विश्लेषण अभ्यास, जो कि महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, अधारताल जबलपुर और यू एन विमेन (UN WOMEN) ने संयुक्त रुप से किया, उसमें प्रायः देखा गया कि जब महिला प्रशिक्षणार्थी संस्थान में प्रशिक्षण हेतु आते है तो साथ में बच्चों की जिम्मेदारी उनपर होती है। कई बार बच्चा दूध पीने की अवस्था में होता है या परिवार में उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है जिससे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान तनाव महसूस करता है और वह सीखने के अवसर का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहता है एवं अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास नहीं कर पाता है।

इस एहसास की प्रतिक्रिया में संस्थान में पालनाघर की सुविधा के लिये योजना बनाई गई और उसके लिये बजट बनाकर पालनाघर की सुविधा को संस्थान में स्थापित किया। यह ठोस कदम, प्रशिक्षणार्थी के सीखने और जानने के अधिकार को सुनिश्चित करता है और प्रशिक्षणार्थी को एकाग्रता और मन की शांति के साथ प्रशिक्षण में भागीदारी करने के लिये अवसर प्रदान करता है। इस कदम से कारोबारी, कामकाजी माता–पिता एवं प्रशिक्षणार्थी को समग्रता और समर्थकारी माहौल मिलेगा, उनमें सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अधिक से अधिक महिला प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में शामिल होने का अवसर और सीखने का प्रोत्साहन मिलेगा।

इस समय जहां हम संसद भवन एवं सर्वोच्च न्यायालय में (क्रेच) की व्यवस्था सुन रहे है, हमें गर्व है कि महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुये प्रतिकार में इस व्यवस्था को संस्थान ने जगह दी इसके अतिरिक्त संस्थान में महिलाओं की खास जरुरतों के लिये सेनेटरी वेडिंग एवं इनसिनरेशन मशीन भी लगाई गयी है।

वीना माहोर,
जेण्डर रिस्पांसिव गर्वनेंस
यूएन वूमेन